हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
१२५ पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षो के वकील उपस्थित। दोनों पक्षो के वकीलों के पत्रावली पर बहस सुनी आदेश अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय हुआ होकर दाखिल दफ्तर हो।	
B Kelkar उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 08/2024

प्रार्थीगण :-

1. गंगदाराम पुत्र मालाराम
   जाति कलबी निवासी मघा की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. अमीया पत्नी टीकमा
2. करनाराम पुत्र टीकमा
3. थानाराम पुत्र मानाराम
4. नानजी पुत्र जोधाराम
5. मेहराराम पुत्र टीकमा
6. लिछमणाराम पुत्र मानाराम
7. शंकराराम पुत्र मानाराम
8. सदाराम पुत्र मानाराम
9. सवाराम पुत्र टीकमा
10. सांवला पुत्र जोधाराम
11. हंजारी पुत्र जोधाराम
12. हेमी पत्नी जोधाराम
    जाति कलबी निवासी मघा की ढाणी तहसील गुडामालानी
13. तहसीलदार गुड़ामालानी
14. अचलाराम पुत्र वजाराम
15. आदाराम पुत्र वीराराम
16. उदाराम पुत्र भीमाराम
17. करनाराम पुत्र वीरा
18. पांचा पुत्र वीरा
19. रामाराम पुत्र भीमाराम जाति क़लबी निवासी मघा की ढाणी
20. अजा पुत्र भूरी
21. घेवा पुत्र भूरी
22. तगा पुत्र भूरी
23. प्रतापा पुत्र भूरी
24. शिवजी पुत्र भूरी जाति रावणा राजपूत निवासी मघा की ढाणी
25. एलसी पुत्री पोकर
26. कृष्णराम पुत्र मांगाराम
27. गंगदा पुत्र रावता
28. गोविन्द पुत्र पोकर
29. गोतम पुत्र पोकर
30. चनणी पत्नी पोकर
31. जगा पुत्र मांगा
32. जेठा पुत्र रावता
33. जोईता पुत्र हरदा
34. दला पुत्र केशा
35. दाडमी पुत्री पोकर
36. पारसा पुत्र मांगा
37. फूलाराम पुत्र भेराराम
38. भगवानाराम पुत्र केशाराम
39. भलाराम पुत्र भेराराम
40. माधाराम पुत्र भेराराम
41. मोहन पुत्र केशा
42. कालू पुत्र रूगा
43. रमकू पत्नी केशा
44. रमेश पुत्र हरदा
45. लेहरो पत्नी मांगा
46. वजा पुत्र केशा
47. शनिदेव पुत्र पोकर

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

रावजी पुत्र नानजी
सुरेन्द्र पुत्र पोकर
50. सुरेश कुमार पुत्र पोकर
51. सवदाराम पुत्र सालूराम
52. सांवलाराम पुत्र पोकर
53. सांवलाराम पुत्र नानजीराम
54. हरचन्द पुत्र भेरा
55. हरियोदेवी पत्नी नानजीराम जाति मेघवाल निवासी मघा की ढाणी
56. रावताराम पुत्रमालाराम जातिकलबी निवासीमघा की ढाणी
57. आदा गोदपुत्र रामा
58. मिसराराम पुत्र रावताराम
59. भारथाराम पुत्र रावताराम
60. नरसीराम पुत्र रावताराम
61. छगना पुत्र रावताराम जाति माली निवासी मघा की ढाणी
62. अमराराम पुत्र पुरखाराम
63. कृष्णकुमार पुत्र रामाराम
64. खुमाराम पुत्र देवाराम
65. गजरो पत्नी मांगा
66. गीगाउर्फ वगता पुत्र भूराराम
67. नवाराम पुत्र देवाराम
68. नारणाराम पुत्र लुम्भाराम
69. नारणाराम पुत्र देवाराम
70. पुरखाराम पुत्र भूराराम
71. प्रभु पुत्र मांगा
72. प्रभा पुत्र उमा
73. भूरा पुत्र देवा
74. मोती पुत्र मांगा
75. लक्ष्मणकुमार पुत्र पुरखाराम
76. लेहरो पत्नी उमा
77. शंकरा पुत्र उमा
78. सांवला पुत्र मांगा
79. हका पुत्र भूरा

जाति कलबी निवासी मघा की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिलाबाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 02.02.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा विप्रार्थीगण संख्या 6 ता 79 के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने सेएकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की पत्रावली पर बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा मघा की ढाणी पटवार हल्का भाखरपुरा के खेत खसरा नम्बर 802/801 रकबा 6.4224 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों

उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मघा की ढाणी पटवार हल्का भाखरपुरा के खेत खसरा नम्बर 802/801 रकबा 6.4224 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक, रतनपुरा को 500/– शुल्क पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 2/2/24.......... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी